15-6-19 वकील उभयपक्ष उप०। बहस हेतु पत्रावली दि० 26-6-19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

26-6-19 वकील उभयपक्ष उप०। S.D.O. सा० जन सुनवाई (नगर परिषद) कार्य में व्यस्त हैं। बहस T.I. हेतु पत्रावली दि० 1-7-19 को पेश हो।

रीडर

1-7-19 वकील उभयपक्ष उप०। बहस T.I. हेतु पत्रावली दि० 8-7-19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

8-7-19 वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 23-7-19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

23-7-19 वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे तार्फैसला दावा प्रार्थीगण को इस नम्बर के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2/2017	30.1.2017	23-7-2019

1. सियाराम पुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. उमाशंकरपुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. शिवकुमारपुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
4. उमादेवीपुत्री मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
5. शारदादेवीपुत्री मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
6. रूकमणी देवी पत्नी मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. किलाण पुत्र पांच्या, कुम्हार निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. प्रहलाद पुत्र किलाण, कुम्हार निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
4. सीतारामपुत्र किलाण, कुम्हार निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
5. रामचरणपुत्र किलाण, कुम्हार निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
6. पूरणपुत्र किलाण, कुम्हार निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
7. राजेन्द्रपुत्र किलाण, कुम्हार निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
8. सुरेशी पत्नी राजेन्द्र, कुम्हार निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
9. फोरन्ती पत्नी पूरण, कुम्हार निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामदयाल त्रिवेदी , एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री गजेन्द्र सैनी, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 2 ता 9 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम चूली में सं0 2003 में प्रार्थीगण के बाबा रामनाथ पुत्र रतन जाति ब्राह्मणके नाम साबिक ख0नं0 269 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा, ख0नं0 273 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा, ख0नं0 317/1 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, ख0नं0 327 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा कुल रकबा 12 बीघा 16 विस्वा था। सं0 2017 में एकीकरण हुआ तब उपरोक्त भूमि के ख0नं0 601 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा व ख0नं0 681 रकबा 6 बीघा 19 विस्वा कुल रकबा 13 बीघा 10 विस्वा बनाए गए। भूमि प्रार्थीगण के बाबा रामनाथ के नाम दर्ज रही। प्रार्थीगण के

उप जिला कलेक्टर

बाबा की मृत्यु के बाद यह भूमि प्रार्थीगण के पिता मदनमोहन के नाम आ गई। मदनमोहन का इन्तकाल हो चुका है एवं प्रार्थीगण उनके कानूनी वारिस हैं। सं0 2039 में भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 601 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा व साबिक ख0नं0 681 रकबा 6 बीघा 19 विस्वा के नवीन खसरा नंबर 1449 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 1706 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 1707 रकबा 0.16है0, ख0नं0 1730 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 1737 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 1732 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1740 रकबा 1.00 है0 कुल रकबा 2.42 है0 कायम किए गए हैं। सं0 2003 में ग्राम चूली में भूमि ख0नं0 273 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा के इर्दगिर्द अगल बगल से होकर चारो दिशाओ में कोई रास्ता नहीं था जो स्पष्टतः सं0 2003 यानि सन् 1945 के नक्शे से स्पष्ट साबित है। ऐसी की ऐसी स्थिति आज वर्तमान में मौके पर बनी हुई है। वर्तमान में भी मौके पर कोई रास्ता नहीं है। साबिक ख0नं0 273 जहां सं0 2003 के नक्शे में स्थित है उस जगह पर एकीकरण कर्मचारियों द्वारा बनाए गए नक्शे में ख0नं0 681 स्थित है। ख0नं0 681 में होकर भी रास्ता नहीं है। सं0 2017 के नक्शे को देखने से स्पष्ट साबित है कि प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 681 में होकर कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद सं0 2039 में भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने जो रिकार्ड व नक्शा तैयार किया उस दौरान नक्शा मौका की स्थिति अनुसार बनाया । जिस जगह पर नक्शे में साबिक ख0नं0 273 स्थित बताया उसी जगह पर भू–प्रबन्ध विभाग ने हाल ख0नं0 1740 नक्शे मे प्रदर्शित कर रास्ता का नम्बर 1741 बना दिया है जो कतई गलत है। भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के खेत हाल ख0नं0 1740 में होकर गलत रूप से नक्शे में रास्ता अंकित कर दिया है जो खिलाफ कानून एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर है। सं0 2003 के नक्शे में कोई रास्ता अंकित नहीं है। सं0 2017 के नक्शे में भी कोई रास्ता अंकित नहीं है। केवल हाल भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बनाए गए नक्शे में ख0नं0 1740 में होकर गलत रूप से रास्ता तरमीम कर रास्ते का नम्बर 1741 रकबा 0.09 है0 बना दिया है जो बोईड व शून्य है तथा दुरूस्ती काबिल है। साबिक ख0नं0 273 में होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा। उसके बाद ख0नं0 681 में होकर कोई रास्ता नहीं रहा है। केवल हाल नक्शे में भू–प्रबन्ध कर्मचारियों की गलती से यह गलत रास्ता अंकित कर दिया गया है जो नक्शे से हजफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी नं0 2 लगायत 9 झगडालू प्रवृति के आदमी हैं तथा संख्या बल में ज्यादा हैं। वे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाए गए नक्शे में तरमीम किए गए पगडंडी रास्ता का उपयोग बल प्रयोग करके झगडा करने पर उतारू हैं

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। इन्होने एक दावा सिविल न्यायाधीश (का0ख0) गंगापुर सिटी के यहां कल्याण बनाम रामचरण वगैरा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का रास्ता दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया। इस दावे के साथ इन्होने अस्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ भी चाही थी परन्तु अदालत ने इनकी अस्थाई निषेधाज्ञा की दरख्वास्त खारिज कर दी। अब अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे जबर्दस्ती भू–प्रबन्ध द्वारा बनाए गए नक्शे में डोटेड लाइन में होकर प्रार्थीगण की फसल को नष्ट करते हुए प्रार्थीगण की भूमि में होकर जबरन जाने की कोशिश करेंगे इसलिए न्यायहित में उन्हें रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। दिनांक 23.1.2017 को अप्रार्थीगण हाथो में लाठी डंडे लेकर प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 1740 में अवैध रूप से घुस गए और जबर्दस्ती डौल को फोडने की कोशिश करने लगे तथा खेत में पूर्व में हुई पशुओं से सुरक्षा हेतु तारबंदी को उखाडने की कोशिश करने लगे। प्रार्थीगण ने मना किया कि तुम्हारा इधर से कोई रास्ता नहीं है, भू–प्रबन्ध वालों ने गलत रास्ता तरमीम किया है, मौके पर कोई रास्ता नहीं है। हम नक्शे की दुरूस्ती अदालत से करवायेंगे। भू–प्रबन्ध कर्मचारियों की गलती की एक और दलील इस प्रकरण में रास्ते से सम्बन्धित है जो इस प्रकार है कि हाल ख0नं0 1741 रास्ता बनाया गया हे वह साबिक ख0नं0 713 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा से बनाया है। साबिक ख0नं0 713 के जो हाल नम्बर बनाए गए हैं वे करीब 7 बीघा बनाए हैं। भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने करीब 2 बीघा भूमि गलत रूप से बढा दी है। उक्त बढाई गई भूमि को वादीगण के खेत ख0नं0 1740 में अंकित कर ख0नं0 1741 बना दिया है जो गलत दर्ज किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख0नं0 1740 में होकर नहीं निकलें एवं खडी फसल गेहूं को नष्ट न करें तथा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा भू–प्रबन्ध द्वारा बनाए गए गलत रास्ते ख0नं0 1741 में प्रार्थीगण को नाजायज परेशान नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब नय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया । जबाब में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। जिसमें अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 269 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा, ख0नं0 273 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा, ख0नं0 307/1 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, ख0नं0 327 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 12 बीघा 16 विस्वा प्रार्थीगण के बाबा रामनाथ पुत्र रतन के नाम सं0 2003 की जमाबंदी में अंकित होना, इस भूमि के एकीकरण में ख0नं0 601 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा व ख0नं0 681 रकबा 6 बीघा 19 विस्वा बनना लाइल्मी अस्वीकार है। वर्तमान ट्रेस के अनुसार अप्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि ख0नं0 1743 व 1746 में आने जाने का एकमात्र रास्ता ख0नं0 1741 में होकर रहा है जिसे बदयांतिपूर्वक प्रार्थीगण एवं रामचरण गुर्जर वगैरा ने अपनी कृषि भूमि में जोतकर मिला लिया है। भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके अनुसार ही रास्ता के रूप में ख0नं0 1741 दर्ज किया है। अप्रार्थीगण मजदूर पेशा व्यक्ति हैं जो अपनी कृषि भूमि ख0नं0 1743 व 1746 में ख0नं0 1741 में होकर आते जाते हैं व कृषि कार्य करते हैं। इस रास्ते को मिन जबाबदार 50 वर्ष से भी अधिक समय से अपने खेतो में आने जाने के काम में ले रहे हैं। यह रास्ता ख0नं0 1729 व 1740 के सहारे से मिन जबाबदारान के खेतों तक जाता है। प्रार्थीगण द्वारा जून 2016 में इस रास्ते को जोतकर अपनी कृषि भूमि में मिला लिया है तथा मिट्टी की डौल लगा ली व कटीली झाडिया रख कर इस रास्ते को बन्द कर दिया। इसकी शिकायत मिन जबाबदारान द्वारा तहसीलदार जी गंगापुर सिटी के यहां की गई। तहसीलदार जी गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थी संख्या 3 सियाराम के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जो विचाराधीन है। यह कार्यवाही होने के बाद ख0नं0 1741 के 18 फीट चौडे रास्ते को प्रार्थीगण ने खोल दिया किन्तु पुनः दिनांक 19.9.2016 को मिट्टी की डौल लगाकर रास्ते को बन्द कर दिया एवं अपने खेतो में जोतकर मिला लिया तथा रास्ते का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। प्रार्थीगण के इस कृत्य के बाद मिन जबाबादार अप्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। इस दावे के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील अप्रार्थीगण ने माननीय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी में प्रस्तुत की। यह अपील दिनांक 27.2.2017 को स्वीकार की गई एवं सिविल न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई के लिए प्रकरण सिविल न्यायालय को भिजवा दिया गया। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेतों पर आने जाने के रास्ते को

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बन्द करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। दि0 23.1.2017 को कोई घटना घटित नहीं हुई थी। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में मनगढन्त तथ्य अंकित किए हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है अपितु अप्रार्थीगण रास्ता ख0नं0 1741 को खुलवाने के अधिकारी हैं एवं रास्ते के आवागमन में अप्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए प्रार्थीगण को पाबंद कराने के अधिकारी हैं। ख0नं0 1741 रास्ते का रकबा 0.09 है0 है जबकि प्रार्थीगण के स्वयं के कथनानुसार 2 बीघा भूमि का रकबा प्रार्थीगण का बढा हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उक्त रास्ते की भूमि ख0नं0 1741 से कोई वास्ता नहीं है।

जबाब के विशेष विवरण में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि अप्रार्थी कल्याण की खातेदारी व कब्जे काश्त की पैत्रक भूमि ख0नं0 1743, 1746 ग्राम चूली में स्थित है। इस भूमि में आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता राजस्व रेकार्ड के अनुसार एवं मौके अनुसार ख0नं0 1741 में होकर है जो गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। यह रास्ता मुख्य सडक चूली–गंगापुर सिटी से शुरू होकर अप्रार्थीगण के खेतों तक जाता है। इस रास्ते की चौडाई करीब 18 फीट है जिसको काउन्टर क्लेम के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ से दर्शाया गया है। नजरी नक्शा दावे का अंग है। इस नजरी नक्शे में दर्शित आम रास्ता भूमि ख0नं0 1729 व 1740 के सहारे होकर अप्रार्थीगण के खेतों तक जाता है। इस रास्ते को 50 वर्ष से भी अधिक समय से अप्रार्थीगण आवागमन के काम में लेते रहे हैं। प्रार्थीगण एवं भूमि ख0नं0 1729 के खातेदार रामचरण वगैरा ने जून 2016 में बरसात के मौसम से पूर्व आम रास्ता ख0नं0 1741 में जोत लगाकर इसे अपने खेतो में मिला लिया एवं मुख्य सडक पर दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए, बी स्थान पर मिट्टी की डौल लगा ली एवं कटीली झाडियां लगाकर इस रास्ते को बन्द कर दिया । रास्ता बन्द करने की शिकायत अप्रार्थीगण ने तहसीलदार गंगापुर सिटी को की जिस पर प्रार्थी सियाराम व रामचरण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की गई एवं रास्ता मौके पर खुलवा दिया गया। प्रार्थी एवं रामचरण ने नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी के मध्य लगाई डौल को अस्थाई रूप से हटा लिया किन्तु पुनः दिनांक 19.9.2016 को मार्क ए, बी स्थानपर मिट्टी की डौल से रास्ते को बन्द कर दिया व कटीले तार खींच दिए जिससे रास्ता बन्द हो गया। इस पर अप्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में मुकदमा उनवानी कल्याण बनाम रामचरण आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा का मय अस्थाई

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने ए0डी0जे0 गंगापुर के यहां अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई व सिविल न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु सिविल न्यायालय को भेज दिया गया जो अभी भी विचाराधीन चल रहा है। अप्रार्थीगण की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण ने यह दावा श्रीमान्जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। दिनांक 15.3.2017 को अप्रार्थीगण उक्त रास्ते से निकल रहे थे तभी प्रार्थीगण मौके पर आ गए और धमकी देने लगे कि आज तो आप इस रास्ते में से निकल रहे हो, यदि आज के बाद इस रास्ते में होकर निकले तो तुम्हारे हाथ पैर तोड देंगे एवं तुम्हारी फसल को भी इस रास्ते में होकर नहीं लाने देंगे जिससे तुम्हारे खेतों में आने जाने का रास्ता सदा के लिए बन्द हो जावेगा। प्रार्थीगण के स्वयं के कथन के अनुसार एकीकरण से पूर्व उनकी भूमि 12 बीघा 16 विस्वा रही है जिसे एकीकरण में 13 बीघा 10 विस्वा कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की 14 विस्वा भूमि बढ रही है एवं ख0नं0 1741 में होकर रास्ता विधिसम्मत बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने ख0नं0 1742 के खातेदारान को मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए उनका मुकदमा खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण का रास्ता ख0नं0 1741 रोक दिया तो अप्रार्थीगण को जो हानि होगी उसकी पूर्ति द्रव्य में किया जाना सम्भव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित आम रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ को मेन्डेटरी निषेधाज्ञा से हटवाया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण की काउन्टरटी0आई0 स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थीगण को आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि काउन्टर क्लेम के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी स्थान पर मिट्टी की डौल लगाकर जो तार खींचे गए हैं उनको प्रार्थीगण अपने खर्चे से हटा ले एवं आम रास्ते को सुचारू रूप से चालू करें एवं प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि काउन्टर क्लेम के साथ नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ रास्ते के उपयोग उपभोग में एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1743 व 1746 तक आने जाने में, कृषि यंत्र लाने, ले जाने में आम रास्ता ख0नं0 1741 में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

ख0नं0 1741 को गलत रूप से रास्ता दर्ज किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से रास्ता दर्ज कर दिए जाने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 1740 में होकर फसल को नष्ट कर रहे हैं व प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो गलत नम्बर रास्ते का ख0नं0 1741 बनाया गया है उसकी दुरूस्ती होना आवश्यक है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अप्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने जबाब व काउन्टर टी0आई0 के अनुसार बहस करते हुए कहा कि मौके पर सं0 2017 से रास्ता रहा है भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके की स्थिति के अनुसार ही ख0नं0 1741 को रास्ते के रूप में दर्ज किया है। प्रार्थीगण ने मौके पर इस रास्ते को बन्द कर रखा है एवं अपने खेत में मिला लिया है। इसलिए अप्रार्थीगण ने तहसीलदारजी के यहां कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें तहसीलदारजी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा91 की कार्यवाही की जिस पर प्रार्थीगण ने रास्ता खोल दिया लेकिन इसके बाद पुनः रास्ता बन्द कर दिया है। अप्रार्थीगण ने माननीय सिविल न्यायालय में रास्ते के सम्बन्ध में एक दावा व उसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। सिविल न्यायालय में अप्रार्थीगण की टी0आई0 खारिज हो गई जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपील प्रस्तुत की एवं अपील में सिविल न्यायालय का निर्णय निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण सिविल न्यायालय को भेजा गया है जिसमें सुनवाई जारी है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण रास्ते में होकर नहीं आने जाने दे रहे हैं जिसके लिए प्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का टी0 आई0 प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

रिबटल में प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने तर्क दिया कि भू–प्रबन्ध विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तित करने का अधिकार नहीं था एवं भू–प्रबन्ध विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रास्ता कायम किया है। अपने इस कथन के समर्थन में वकील प्रार्थीगण ने न्याय दृष्टान्त 2016 आर0बी0जे0 303, 1993 आर0आर0डी0 पेज 44 प्रस्तुत किया है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में आगे कहा कि केवल एक खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ला सकता है। ईजमेन्टरी राइट्स अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तय नहीं किए जा सकते हैं एवं राजस्व न्यायालय को आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रदान करने का अधिकार नहीं है। अपने इस कथन के समर्थन में प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने न्याय दृष्टान्त 1974 आर0आर0डी0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

पेज 305, 1975 आर0आर0डी0 पेज 221, 1995 आर0आर0डी0 पेज 391, 1987 आर0आर0डी0 पेज 135, 1988 आर0आर0डी0 पेज 558 उद्धत किए हैं।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख एवं न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण ने अपने टी0आई0 प्रार्थना पत्र में ख0नं0 1740 जो उनकी खातेदारी भूमि है, के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। दोनों पक्षों के कथन ख0नं0 1741 जो रेकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता है, को लेकर विवाद है इसलिए यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ख0नं0 1740 ग्राम चूली जो कि राजस्व नक्शे अनुसार ख0नं0 1741 से लगता हुआ है,के उपयोग उपभोग को लेकर प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न कर सकते हैं । ख0नं0 1741 राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है परन्तु यहां यह अवलोकनीय है कि अप्रार्थीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में प्रस्तुत दावा उनवानी किलाण बनाम रामचरण वगैरा के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में सिविल न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 8.10.16 के अनुसार मौकेपर किसी प्रकार का रास्ता नहीं पाया गया है। मौके पर रास्ता है या नहीं इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में होना है परन्तु यहां प्रथम दृष्टया मौके की स्थिति को देखा जाना आवश्यक है एवं इस मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रास्ता नहीं पाया गया है। वर्तमान स्थिति में ख0नं0 1741 के सम्बन्ध में हम इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में कोई आदेश देना उचित नहीं मानते हैं एवं इसी अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णित होने तक वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 1740 रकबा 1.00 है0 ग्राम चूली के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 23-7-2019को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.21 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: